

706

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधि०सं० : 2/स्था०-3012/91

5304 (5) पटना, दिनांक :
अधिसूचना

16-6-15

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, पथ निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार तकनीकी सेवा में नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिए प्रवृत्त बिहार तकनीकी सेवा नियमावली-1999 के नियम-9 (ख) के परन्तुक के रूप में तुरन्त के प्रभाव से निम्न सन्निहित किया जाता है :-

"परन्तु इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि दिनांक 08.11.1999 से पूर्व न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक (जीव विज्ञान) से उत्तीर्ण एवं शोध सहायक के पद पर नियुक्त, जो बाद में सहायक शोध पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत हुए हैं, भी सहायक निदेशक के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेश कुमार) 16/6/15

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक : 2/स्था०-3012/91

5305 (5)

पटना, दिनांक : 16-6-15

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ, अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना-7 को भेजने हेतु प्रेषित।

2 इस अधिसूचना की 100 मुद्रित प्रतियां प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

(शैलेश कुमार) 16/6/15

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक : 2/स्था०-3012/91

5305 (5)

पटना, दिनांक :

16-6-15

प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता सभी उपभाग, पथ निर्माण विभाग/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(शैलेश कुमार) 16/6/15

सरकार के अपर सचिव।